



भावाअशिप-उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

ICFRE-TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

Indian Council of Forestry Research & Education

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद

An autonomous Council under the Ministry of Environment, Forest & Climate Change

डाकघर - आर0एफ0आर0सी0, मण्डला रोड, जबलपुर - 482 021

P.O. R.F.R.C., Mandla Road, Jabalpur - 482 021



क्रमांक 1-6-66-part-Viii/08-MACP/स्था/उवअसं/1408

दिनांक 06/02/2025

आदेश / Order

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-Estt(D), दिनांक 19/05/2009 एवं दिनांक 22/10/2022 से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम लागू की गई है। भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र क्रमांक 2-30/2001-FE(pt.), दिनांक 15/06/2010 एवं ICFRE के बोर्ड ऑफ गर्वनर के आदेशों के अनुरूप निम्नलिखित कार्मिक को MACP योजना का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 03/02/2026 को विभागीय छानबीन समिति की बैठक आयोजित की गई। विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कर्मचारियों को पात्रतानुसार उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथि से MACPs के अंतर्गत वित्तीय प्रोन्नतमान सहर्ष प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र0	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तथा ग्रेड वेतन	तिथि जिससे एम0ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय प्रोन्नतमान देय है	एम0ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वेतनमान एवं ग्रेड वेतन
1	2	5	6	7
1	Shri Rajjan Singh Warkade, MTS	Pay matrix Level 3 of 7 th CPC	30-07-2026 3 rd MACP	Pay matrix Level 4 of 7 th CPC

उपरोक्त वित्तीय प्रोन्नतमान उक्त वर्णित कर्मचारियों का वैयक्तिक है तथा इसका उनकी वरीयता से कोई संबंध नहीं है।

वित्तीय प्रोन्नतमान एवं उससे संबंधित वेतन निर्धारण डी0ओ0पी0टी0 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-Estt.(D), दिनांक 19 मई 2009 में दर्शित शर्तों तथा इस संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुरूप होगा।

उपरोक्त MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोन्नतमान में अधिक भुगतान की स्थिति में लेखा परीक्षण आपत्ति अथवा शासकीय निर्देशों/आदेशों के तहत संबंधित कर्मचारी से वसूली की जायेगी। इस संबंध में उपरोक्त समस्त कार्मिक Undertaking कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

उक्त कर्मचारी वेतन निर्धारण के लिए FR-22(1)(a)(1) के अनुसार अपना विकल्प (Option form) नियम के तहत प्रस्तुत कर सकते हैं।

नियमिति पदोन्नति के दौरान रागान वेतनमान एवं ग्रेड वेतन की स्थिति में पुनः वेतन निर्धारण नहीं होगा।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनापरान्त जारी किया जा रहा है।

A. J. Asai
अवर सचिव

भावाअशिप-उवअसं, जबलपुर

वितरण:- ई-मेल के माध्यम से

1. उपर्युक्त संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रभागाध्यक्ष के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भावाअशिप-उवअसं, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित व्यक्तिगत नस्ती।
4. प्रभागी आई0टी0सेल को संस्थान की वेबसाइट में अपलोड हेतु प्रेषित।